



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-240/2026/1205/22-2-2025-17(274)/2024
लखनऊ : दिनांक: 18 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व योग दिवस, 2024 (21 जून, 2024) के अवसर पर जिला कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी महादेव (कैदी संख्या-1882/2018) पुत्र श्री शिव दयाल कोरी, निवासी बबुरी मजरे सरसन्डा, थाना-मोहम्मदपुर खाला, जनपद-बाराबंकी, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/2009, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 504 एवं 506 (II) के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-09, बाराबंकी के आदेश दिनांक 22.04.2010 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 02-03-2012 द्वारा निर्णीत करते हुये भा0द0वि0 की धारा-302/34 में दी गयी मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2024 तक 16 वर्ष, 01 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 01 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-240/2026/1205(1)/22-2-2025 एवं तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेटजी फार गान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।